पंजीयन संख्या : 5680/80–81 ।। श्री चित्रगुप्ताय नमः ।। संस्थापित : वर्ष 1887
Web : www.abkmindia.in
फिरोजाबाद मो0 : 09458404561, 09084727232

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

पंजीकृत राष्ट्रीय कार्यालय : 204, चौथियाना, मैनपुरी (पूर्व पता – सहाय भवन 12, दरीबा, मैनपुरी)
उ0प्र0का प्रान्तीय कार्यालय : 60–बी, दारूलसफा विधायक निवास, लखनऊ फोन नं0–0522–2201303
राष्ट्रीय महामंत्री का कैम्प कार्यालय–1/658/5, सुहागनगर, फिरोजाबाद
E-mail : abkmindia5680@gmail.com

<u>ज्ञापन</u>

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल जी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महोदय,

आप अवगत ही होंगे कि जनपद हमीरपुर में 25 जुलाई 2015 को थाना व कस्बा बिंवार निवासी राजकुमार खरे की 17 वर्षीय पुत्री स्वीकृति के साथ गॉव के ही सगे भाई जितेन्द्र यादव एवं भूरा यादव पुत्रगण करन यादव ने प्रातः कोचिंग जाते समय छेड़खानी की । बालिका के विरोध किये जाने पर आरोपी भाईयों ने लड़की को सरे बाजार लात–घूंसों से बुरी तरह से पीटा । जब तक आस–पास के लोग दौड़े आरोपी मौके से भाग गये । जैसे तैसे लोगों ने बालिका को उसके घर पहॅुचाया । परिजन आरोपी युवकों के घर शिकायत करने निकले ही थे कि पीड़ित बालिका ने सरेबाजार हुई अपनी बेइज्जती और आरोपियों के आतंक से परेशान होकर आग लगाकर अपनी जान दे दी । छेड़छाड से आहत बालिका के आत्मदाह करने पर परिजन शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मॉग कर रहे थे । पुलिस ने उनपर हमला बोल दिया जोरदार लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया और परिजनों से जबरन शव छीनकर यमुना में फेंक दिया । परिवारीजनी छात्रा के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन वे नहीं पसीजे और परिजन गुप्त स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया । रविवार को केन्द्रीय मंत्री के पहॅुचने पर उन्हें बमुश्किल रिहा किया गया ।
अपनी सुरक्षा व संरक्षा को लेकर आंदोलनरत भीड़ पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में रोहित पांडे नामक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई और अन्य 3 गंभीर रू५ से घायल हुये हैं । पुलिस की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई न केवल मानवता पर कलंक अपितु उत्तर प्रदेश सरकार की भयमुक्त समाज की घोषणा का खुला मजाक है । जिसकी हम सभी घोर निन्दा करते हैं । साथ ही आपसे मॉग करते हैं कि :–

1. उक्त जघन्य एवं वीभत्स घटना की सी0बी0आई0 से जॉच कराई जाये ।
2. आरोपियों को सजाये–मौत दी जाये ।
3. उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाये एवं नौकरी से बर्खास्त किया जाये जिनके द्वारा बालिका के शव को छीनकर जबरन यमुना में फेंक दिया गया और परिजनों को बंधक बना लिया गया।

4. उस अधिकारी को चिन्हित कर मुकदमा चलाया जाये जिसके द्वारा एकदम फायरिंग करने के आदेश दिये गये जिससे एक निरपराधी व्यक्ति की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुये हैं । जबकि भीड़ को तितर–बितर करने के लिये वाटर कैनन, ऑसू गैस एवं रबर की गोलियों के विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता था ।
5. पीड़ित परिवारों को कम से कम 50–50 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये । चूँकि दोनों ही बालक होनहार एवं प्रतिभाशाली थे ।
6. पुलिस द्वारा वगैर नाम के पंजीकृत किये गये मुकदमें के अंतर्गत लोगों के साथ जबरन पुलिसिया तांडव किया जा रहे है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये ताकि लोग भयमुक्त जीवन जी सकें ।

हमारी उपरोक्त मॉगों पर यथाशीघ्र विचार कर पूरा किया जाये अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी जिसके लिये शासन एवं प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा ।

दिनांक :

भवदीय

(कमल कुमार श्रीवास्तव)
राष्ट्रीय कार्य0 अध्यक्ष

(डा0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)
प्रदेश अध्यक्ष– उ0प्र0

(विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ)
राष्ट्रीय महामंत्री

एवं सम्पूर्ण कायस्थ समाज

पंजीयन संख्या : 5680/80-81 ।। श्री चित्रगुप्ताय नमः ।। संस्थापित : वर्ष 1887
Web : www.abkmindia.in फिरोजाबाद मो0 : 09458404561, 09084727232

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

पंजीकृत राष्ट्रीय कार्यालय : 204, चौथियाना, मैनपुरी (पूर्व पता - सहाय भवन 12, दरीबा, मैनपुरी)
उ0प्र0का प्रान्तीय कार्यालय : 60-बी, दारूलसफा विधायक निवास, लखनऊ फोन नं0-0522-2201303
राष्ट्रीय महामंत्री का कैम्प कार्यालय-1/658/5, सुहागनगर, फिरोजाबाद
E-mail : abkmindia5680@gmail.com

ज्ञापन

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महोदय,

आप अवगत ही होंगे कि जनपद हमीरपुर में 25 जुलाई 2015 को थाना व कस्बा बिंवार निवासी राजकुमार खरे की 17 वर्षीय पुत्री स्वीकृति के साथ गॉव के ही सगे भाई जितेन्द्र यादव एवं भूरा यादव पुत्रगण करन यादव ने प्रातः कोचिंग जाते समय छेड़खानी की । बालिका के विरोध किये जाने पर आरोपी भाईयों ने लड़की को सरे बाजार लात–घूंसों से बुरी तरह से पीटा । जब तक आस–पास के लोग दौड़े आरोपी मौके से भाग गये । जैसे तैसे लोगों ने बालिका को उसके घर पहुॅचाया । परिजन आरोपी युवकों के घर शिकायत करने निकले ही थे कि पीड़ित बालिका ने सरेबाजार हुई अपनी बेइज्जती और आरोपियों के आतंक से परेशान होकर आग लगाकर अपनी जान दे दी । छेड़छाड से आहत बालिका के आत्मदाह करने पर परिजन शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मॉग कर रहे थे । पुलिस ने उनपर हमला बोल दिया जोरदार लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया और परिजनों से जबरन शव छीनकर यमुना में फेंक दिया । परिवारीजनी छात्रा के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन वे नहीं पसीजे और परिजन गुप्त स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया । रविवार को केन्द्रीय मंत्री के पहुॅचने पर उन्हें बमुश्किल रिहा किया गया ।
अपनी सुरक्षा व संरक्षा को लेकर आंदोलनरत भीड़ पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में रोहित पांडे नामक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई और अन्य 3 गंभीर रू‍ से घायल हुये हैं । पुलिस की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई न केवल मानवता पर कलंक अपितु उत्तर प्रदेश सरकार की भयमुक्त समाज की घोषणा का खुला मजाक है । जिसकी हम सभी घोर निन्दा करते हैं । साथ ही आपसे मॉग करते हैं कि :–

1. उक्त जघन्य एवं वीभत्स घटना की सी0बी0आई0 से जॉच कराई जाये ।
2. आरोपियों को सजाये–मौत दी जाये, ताकि कानून के प्रति लोगों में भय पैदा हो सके और प्रदेश में लड़कियो एवं महिलाओं पर अत्याचार करने से पूर्व लोग हजार बार सोचें ।

3. उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाये एवं नौकरी से बर्खास्त किया जाये जिनके द्वारा बालिका के शव को छीनकर जबरन यमुना में फेंक दिया गया और परिजनों को बंधक बना लिया गया। इस बर्बर घटना से यह लगता है कि पुलिस बालों की आत्मा ही मर गई है ।
4. उस अधिकारी को चिन्हित कर मुकदमा चलाया जाये जिसके द्वारा बगैर सोचे समझे भीड पर फायरिंग करने के आदेश दिये गये जिससे एक निरपराधी व्यक्ति की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुये हैं । जबकि भीड़ को तितर–बितर करने के लिये वाटर कैनन, ऑसू गैस एवं रबर की गोलियों के विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता था ।
5. पीड़ित परिवारों को कम से कम 50–50 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये । चूँकि दोनों ही बालक होनहार एवं प्रतिभाशाली थे ।
6. पुलिस द्वारा वगैर नाम के पंजीकृत किये गये मुकदमें के अंतर्गत लोगों के साथ जबरन पुलिसिया तांडव किया जा रहे है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये ताकि लोग भयमुक्त जीवन जी सकें ।

हमारी उपरोक्त मॉगों पर यथाशीघ्र विचार कर पूरा किया जाये अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी जिसके लिये शासन एवं प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा ।

दिनांक :

भवदीय

(कमल कुमार श्रीवास्तव)	(डा0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)	(विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ)
राष्ट्रीय कार्य0 अध्यक्ष	प्रदेश अध्यक्ष– उ0प्र0	राष्ट्रीय महामंत्री

एवं सम्पूर्ण कायस्थ समाज

पंजीयन संख्या : 5680/80-81 ।। श्री चित्रगुप्ताय नमः ।। संस्थापित : वर्ष 1887
Web : www.abkmindia.in फिरोजाबाद मो0 : 09458404561, 09084727232

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

पंजीकृत राष्ट्रीय कार्यालय : 204, चौथियाना, मैनपुरी (पूर्व पता - सहाय भवन 12, दरीबा, मैनपुरी)
उ0प्र0का प्रान्तीय कार्यालय : 60-बी, दारूलसफा विधायक निवास, लखनऊ फोन नं0-0522-2201303
राष्ट्रीय महामंत्री का कैम्प कार्यालय-1/658/5, सुहागनगर, फिरोजाबाद
E-mail : abkmindia5680@gmail.com

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय :– **25 जुलाई 2015 को हमीरपुर जनपद के थाना व कस्बा बिंवार निवासी राजकुमार खरे की 17 वर्षीय पुत्री स्वीकृति के साथ हुई घटना पर संज्ञान लेकर कठोर कार्यवाही करने के सम्बंध में ।**

महोदय,

आप अवगत ही होंगे कि जनपद हमीरपुर में 25 जुलाई 2015 को थाना व कस्बा बिंवार निवासी राजकुमार खरे की 17 वर्षीय पुत्री स्वीकृति के साथ गॉव के ही सगे भाई जितेन्द्र यादव एवं भूरा यादव पुत्रगण करन यादव ने प्रातः कोचिंग जाते समय छेड़खानी की । बालिका के विरोध किये जाने पर आरोपी भाईयों ने लड़की को सरे बाजार लात–घूंसों से बुरी तरह से पीटा । जब तक आस–पास के लोग दौड़े आरोपी मौके से भाग गये । जैसे तैसे लोगों ने बालिका को उसके घर पहुॅचाया । परिजन आरोपी युवकों के घर शिकायत करने निकले ही थे कि पीड़ित बालिका ने सरेबाजार हुई अपनी बेइज्जती और आरोपियों के आतंक से परेशान होकर आग लगाकर अपनी जान दे दी । छेड़छाड से आहत बालिका के आत्मदाह करने पर परिजन शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मॉग कर रहे थे । पुलिस ने उनपर हमला बोल दिया जोरदार लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया और परिजनों से जबरन शव छीनकर यमुना में फेंक दिया । परिवारीजनी छात्रा के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन वे नहीं पसीजे और परिजन गुप्त स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया । रविवार को केन्द्रीय मंत्री के पहुॅचने पर उन्हें बमुश्किल रिहा किया गया ।
अपनी सुरक्षा व संरक्षा को लेकर आंदोलनरत भीड़ पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में रोहित पांडे नामक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई और अन्य 3 गंभीर रू॰ से घायल हुये हैं । पुलिस की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई न केवल मानवता पर कलंक अपितु उत्तर प्रदेश सरकार की भयमुक्त समाज की घोषणा का खुला मजाक है । जिसकी हम सभी घोर निन्दा करते हैं । साथ ही आपसे मॉग करते हैं कि :–

7. उक्त जघन्य एवं वीभत्स घटना की सी0बी0आई0 से जॉच कराई जाये ।
8. आरोपियों को सजाये–मौत दी जाये, ताकि कानून के प्रति लोगों में भय पैदा हो सके

और प्रदेश में लड़कियो एवं महिलाओं पर अत्याचार करने से पूर्व लोग हजार बार सोचें ।

9. उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाये एवं नौकरी से बर्खास्त किया जाये जिनके द्वारा बालिका के शव को छीनकर जबरन यमुना में फेंक दिया गया और परिजनों को बंधक बना लिया गया। इस बर्बर घटना से यह लगता है कि पुलिस बालों की आत्मा ही मर गई है ।
10. उस अधिकारी को चिन्हित कर मुकदमा चलाया जाये जिसके द्वारा बगैर सोचे समझे भीड पर फायरिंग करने के आदेश दिये गये जिससे एक निरपराधी व्यक्ति की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुये हैं । जबकि भीड़ को तितर–बितर करने के लिये वाटर कैनन, ऑसू गैस एवं रबर की गोलियों के विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता था ।
11. पीड़ित परिवारों को कम से कम 50–50 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये । चूँकि दोनों ही बालक होनहार एवं प्रतिभाशाली थे ।
12. पुलिस द्वारा वगैर नाम के पंजीकृत किये गये मुकदमें के अंतर्गत लोगों के साथ जबरन पुलिसिया तांडव किया जा रहे है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये ताकि लोग भयमुक्त जीवन जी सकें ।

उपरोक्त मॉगों को यथाशीघ्र पूरा करते हुये पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कष्ट करें ।

भवदीय

(कमल कुमार श्रीवास्तव) राष्ट्रीय कार्य0 अध्यक्ष	(डा0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव) प्रदेश अध्यक्ष– उ0प्र0	(विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ) राष्ट्रीय महामंत्री

प्रतिलिपि :– उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित

1. मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. मा0 प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
3. मा0 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(कमल कुमार श्रीवास्तव) राष्ट्रीय कार्य0 अध्यक्ष	(डा0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव) प्रदेश अध्यक्ष– उ0प्र0	(विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ) राष्ट्रीय महामंत्री

एवं सम्पूर्ण कायस्थ समाज

पंजीयन संख्या : 5680/80-81 ।। श्री चित्रगुप्ताय नमः ।। संस्थापित : वर्ष 1887
Web : www.abkmindia.in
फिरोजाबाद मो0 : 09458404561, 09084727232

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

पंजीकृत राष्ट्रीय कार्यालय : 204, चौथियाना, मैनपुरी (पूर्व पता - सहाय भवन 12, दरीबा, मैनपुरी)
उ0प्र0का प्रान्तीय कार्यालय : 60-बी, दारूलसफा विधायक निवास, लखनऊ फोन नं0-0522-2201303
राष्ट्रीय महामंत्री का कैम्प कार्यालय-1/658/5, सुहागनगर, फिरोजाबाद
E-mail : abkmindia5680@gmail.com

ज्ञापन

सेवा में,
मानननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

द्वारा,
जिलाधिकारी महोदय,
जिला..........................

महोदय,

आप अवगत ही होंगे कि जनपद हमीरपुर में 25 जुलाई 2015 को थाना व कस्बा बिंवार निवासी राजकुमार खरे की 17 वर्षीय पुत्री स्वीकृति के साथ गॉव के ही सगे भाई जितेन्द्र यादव एवं भूरा यादव पुत्रगण करन यादव ने प्रातः कोचिंग जाते समय छेड़खानी की । बालिका के विरोध किये जाने पर आरोपी भाईयों ने लड़की को सरे बाजार लात–घूंसों से बुरी तरह से पीटा । जब तक आस–पास के लोग दौड़े आरोपी मौके से भाग गये । जैसे तैसे लोगों ने बालिका को उसके घर पहॅुचाया । परिजन आरोपी युवकों के घर शिकायत करने निकले ही थे कि पीड़ित बालिका ने सरेबाजार हुई अपनी बेइज्जती और आरोपियों के आतंक से परेशान होकर आग लगाकर अपनी जान दे दी । छेड़छाड से आहत बालिका के आत्मदाह करने पर परिजन शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मॉग कर रहे थे । पुलिस ने उनपर हमला बोल दिया जोरदार लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया और परिजनों से जबरन शव छीनकर यमुना में फेंक दिया । परिवारीजनी छात्रा के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन वे नहीं पसीजे और परिजन गुप्त स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया । रविवार को केन्द्रीय मंत्री के पहॅुचने पर उन्हें बमुश्किल रिहा किया गया ।
अपनी सुरक्षा व संरक्षा को लेकर आंदोलनरत भीड़ पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में रोहित पांडे नामक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हुये हैं । पुलिस की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई न केवल मानवता पर कलंक अपितु उत्तर प्रदेश सरकार की भयमुक्त समाज की घोषणा का खुला मजाक है । जिसकी हम सभी घोर निन्दा करते हैं । साथ ही आपसे मॉग करते हैं कि :–

13. उक्त जघन्य एवं वीभत्स घटना की सी0बी0आई0 से जॉच कराई जाये ।
14. आरोपियों को सजाये–मौत दी जाये, ताकि कानून के प्रति लोगों में भय पैदा हो सके और प्रदेश में लड़कियो एवं महिलाओं पर अत्याचार करने से पूर्व लोग हजार बार सोचें ।
15. उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाये एवं नौकरी से बर्खास्त किया जाये जिनके द्वारा बालिका के शव को छीनकर जबरन यमुना में फेंक दिया गया और परिजनों को बंधक बना लिया गया। इस बर्बर घटना से यह लगता है कि पुलिस बालों की आत्मा ही मर गई है ।
16. उस अधिकारी को चिन्हित कर मुकदमा चलाया जाये जिसके द्वारा बगैर सोचे समझे भीड पर फायरिंग करने के आदेश दिये गये जिससे एक निरपराधी व्यक्ति की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुये हैं । जबकि भीड़ को तितर–बितर करने के लिये वाटर कैनन, ऑसू गैस एवं रबर की गोलियों के विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता था ।
17. पीड़ित परिवारों को कम से कम 50–50 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये । चूँकि दोनों ही बालक होनहार एवं प्रतिभाशाली थे ।
18. पुलिस द्वारा वगैर नाम के पंजीकृत किये गये मुकदमें के अंतर्गत लोगों के साथ जबरन पुलिसिया तांडव किया जा रहे है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये ताकि लोग भयमुक्त जीवन जी सकें ।

हमारी उपरोक्त मॉगों पर यथाशीघ्र विचार कर पूरा किया जाये अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी जिसके लिये शासन एवं प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा ।

दिनांक :

भवदीय

जिलाध्याक्ष

जिला महामंत्री

एवं सम्पूर्ण कायस्थ समाज